बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला पंचायत शाखा)

Email : dpro-la-bih@nic.in
Fax : 06346-232767
Tel : 06346-232124

आदेश

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 4046 / पं0रा, दिनांक 25.07.2018 के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लखीसराय जिला में कुल–20 (बीस) तकनीकी सहायक का नियोजन संविदा के आधार पर किये जाने का निदेश प्राप्त है।

दिनांक 13.01.2020 को तकनीकी सहायक के नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर विन्दु के आधार पर सर्वसम्मति से कुल–20 पद के विरूद्ध कुल 16 अभ्यर्थियों का कोटिवार नियोजन करने का निर्णय किया गया जो निम्नवत है:–

क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	ऑनलाईन आवेदन संख्या	आरक्षण का कोटी
1	2	3	4	5
1	परमानन्द कुमार	उमेश दास	5	सामान्य
2	अनुज कुमार	उमेश प्रसाद	6	"
3	उज्जवल भाषकर	संजय कुमार	7	"
4	सुमन कुमार	जितेन्द्र कुमार	8	"
5	निलू कुमारी	अरूण कु0 यादव	9	"
6	सौरभ कुमार	अमिरक प्रसाद यादव	10	"
7	रानलाल शर्मा	विश्वेश्वर शर्मा	11	"
8	सुमिता मैती	सुबोध मैती	30	सामान्य महिला
9	प्रितम कुमारी	अशोक रजक	51	"
10	विनय कुमार	शिव शंकर दास	18	अनु0जाति
11	राहुल कुमार	राम चरित्र पासवान	19	"
12	संजय कुमार	कृष्णनन्दन साव	13	अति0पि0वर्ग
13	अभिषेक कु0 रॉकी	कृष्णनन्दन साह	15	"
14	आर्यन मेहता	जगदीश प्रसाद मेहता	17	पि0वर्ग
15	विट्टू कुमार	शैलेन्द्र यादव	25	"
16	राजेश कु0 सोरेन	तनेश्वर सोरेन	26	अनु0ज0जाति

ज्ञातव्य है कि नियोजन हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से क्रमांक 8 एवं 14 का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन अप्राप्त है। जिसके संबंध में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ नियोजन की स्वीकृति दी गई है:–

1. वैसे अभ्यर्थी जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2020 तक जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. यदि सत्यापन प्रतिवेदन में किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसी समय उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी।"

3. तकनीकी सहायक की नियुक्ति विभागीय पत्रांक 8638 पं0रा0 दिनांक 26.12.2019 के आलोक में cwjc No-21651/2018 रंजन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.12.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में किया जा रहा है। यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकुल आदेश पारित किया जाता है, तो नियोजन न्यायलय के आदेश के अनुरूप प्रभावित होगा ।

चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 31.01.2020 तक योगदान करना आवश्यक होगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

1. योगदान के समय निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि:–
   (क) उनके विरूद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।
   (ख) अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का दहेज न लिया/लेगें और न ही दिया/देगें का शपथ पत्र
   (ग) नियोजन के क्रम में समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मेरे जानकारी मे सत्य व सही है, यदि भविष्य में कोई त्रूटि पाई जाती है तो जिला पदाधिकारी महोदय कोई भी कार्रवाई हेतु सक्षम होगें।
3. नियुक्त कर्मी द्वारा अनुबंध पत्र (मो0:– 1000/–(एक हजार) रूपये का नन जुडिरियल स्टाम्प) पर हस्ताक्षरित करने के उपरांत ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।
4. चिकित्सा प्रमाण–पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत) मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. 02(दो) अभिप्रमाणित फोटो एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
6. नियोजित होने वाले अभ्यर्थियों को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
7. नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर समय से पहले भी उन्हें हटाया जा सकेगा।
8. सरकारी दिशा–निर्देश के आलोक में योगदान करने वाले कर्मियों के नियोजन शर्तों को संशोधित करने/रद्द करने एवं संविदा समाप्त करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को सुरक्षित रहेगा।
9. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
11. संविदा के शर्त्तों के अनुसार नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।
12. यह चयन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। लेकिन यह वाध्यकारी नहीं होगा।
13. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के नियोजन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थति में निर्धारति तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

14. नियोजित कर्मियों को योगदान की तिथि से 3 (तीन) माह के अंदर कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/—
जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक – 67 पं0रा0/ दिनांक 18/01/2020

प्रतिलिपि :– सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), लखीसराय को सूचनार्थ एवं निदेश हैकि इसकी एक प्रति जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, लखीसराय/अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आसैनिक चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/20
जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।